#### न्यायालयः—मधुसूदन जंघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)

दाण्डिक प्र0क0—667 / 2012 संस्थित दिनांक—14.08.2012 फा.नंबर 234503001482012

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र–बिरसा, जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

#### !!विरूद्ध!!

रोहित साहू पिता बेनीराम साहू, उम्र–38 वर्ष, जाति तेली निवासी मानेगांव थाना बिरसा जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपी

### !! निर्णय !! (दिनांक 07/06/2018 को घोषित किया गया )

01:— उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 03.07.12. को समय शाम करीब 17:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत मालुमझोला मोड़ के पास लोकमार्ग पर वाहन पिकप कमांक एम.पी.50जी.0415 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाते हुये महुआ पेड़ के पास पलटाकर उसमें सवार आहतगण बुधनसिंह, सुनतीबाई, डुलेश्वरीबाई, इन्द्राबाई, अधिनयाबाई, बिसंताबाई, अमीनाबाई, सुधनबाई तथा खेलन को साधारण उपहित कारित करने, इस प्रकार धारा 279, 337(9 बार) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।

03:— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 03.07.12 को शाम करीबन 5:00 बजे आहतगण मानेगांव के रोहित साहू के पिकप वाहन कमांक एम.पी.50जी.0415 से मण्डई से बरबसपुर जा रहे थे। जिसमें करीबन 10—12 लोग बैठे थे। आरोपी रोहित साहू ने वाहन को तेजगित लापरवाही से चलाकर मालूमझोला रोड़ पर महुआ पेड़ के पास पलटा दिया। जिससे वाहन में बैठे सवारियों को चोट आने से थाना बिरसा में अपराध कमांक 79/12 धारा—279, 337 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया

गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण में आरोपित अपराध से अस्वीकार किया है तथा आरोपी द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

### 05:-प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:-

- क्या आरोपी ने दिनांक 03.07.12. को समय शाम करीब 17:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत मालुमझोला मोड़ के पास लोकमार्ग पर वाहन पिकप क्रमांक एम.पी.50जी.
  0415 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?
- वया आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाते हुये महुआ पेड़ के पास पलटाकर उसमें सवार आहतगण बुधनसिंह, सुनतीबाई, डुलेश्वरीबाई, इन्द्राबाई, अधिनयाबाई, बिसंताबाई, अमीनाबाई, सुधनबाई तथा खेलन को साधारण उपहित कारित किया ?

# !! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !!

## विचारणीय प्रश्न कमांकः—01 लगायत 02

06:— बुधनसिंह अ.सा.01 ने बताया कि वह आरोपी रोहित को जानता है। घटना लगभग एक—देढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह मण्डई बाजार से पिकप वाहन में बैठकर बरबसपुर जा रहा था। पिकप में उसके अलावा 10—12 लोग बैठे हुये थे। पिकप को आरोपी चला रहा था। जैसे ही मालूमझोला मोड़ के पास पहुंचे तो बारिश के कारण रास्ता कच्चा होने के कारण मोड़ पर वाहन पलट गया। जिससे उसके कमर में चोट आयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी—01 थाना बिरसा में की थी। पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध किया था तथा उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। घटना आरोपी की गलती से हुयी थी, किन्तु साक्षी ने आरोपी के वाहन चलाने में क्या गलती थी, नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सडक की

मिट्टी चिकनी होने से वाहन का चक्का फिसल गया था। यह भी स्वीकार किया है कि वाहन के फिसलकर पलटने में वाहन चालक की कोई गलती नहीं थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन सामान्य गति से चल रहा था। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी द्वारा वाहन चलाने में किसी उपेक्षा या उतावलेपन के बारे में नहीं बताया है।

- 07:— परसराम अ.सा.02 ने बताया कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया कि दिनांक 03.07.12 को शाम 5:00 बजे महुआ पेड़ के पास पिकप को आरोपी ने तेजी व लापरवाही से पलटा दिया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण वाहन पलटा दिया था। साक्षी ने पुलिस को प्रपी—02 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।
- 08:— खेलन अ.सा.04 ने बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना 5 वर्ष पूर्व मालूमझोला के पास शाम के समय की है। घटना के समय वे लोग आरोपी के पिकप वाहन में बैठकर घर वापस जा रहे थे। मालूमझोला के पास आरोपी ने वाहन को पलटा दिया था। जिससे वाहन में सवार लोगों को चोटे आयी थी। उसके सीने में चोट आयी थी। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। घटना आरोपी ड्रायवर की गलती से हुयी थी किन्तु इस साक्षी ने आरोपी के वाहन चलाने में क्या गलती हुयी थी, नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह वाहन के पीछे बैठा था, वाहन कैसे पलटा उसने नहीं देखा। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से आरोपी के वाहन चलाने में क्या उपेक्षा या उतावलेपन था, प्रकट नहीं होता है।
- 09:— सुधन अ.सा.05 ने बताया कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व शाम 5:00 बजे मालूमझोला के पास की है। घटना के समय वे लोग मण्डई बाजार से पिकप वाहन में बैठकर घर वापस जा रहे थे। मालूमझोला के पास आरोपी ने वाहन पलटा दिया। जिससे पिकप सवार सभी लोगों को चोटे आयी थी। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में और कवर्धा अस्पताल में हुआ था। घटना आरोपी इायवर की गलती से हुयी थी किन्तु इस

साक्षी ने आरोपी के वाहन चलाने में क्या गलती हुयी थी, नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह वाहन के पीछे बैठी थी, वाहन कैसे पलटा उसने नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से आरोपी के वाहन चलाने में क्या उपेक्षा या उताबलेपन था, प्रकट नहीं होता है। साक्षी ने यह भी बताया है कि वाहन सामान्य गति से चल रहा था।

- 10:— अमिना अ.सा.06 ने बताया कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व मालूमझोला के पास शाम के समय की है। घटना के समय वे लोग मण्डई बाजार से आरोपी के पिकप वाहन में बैठकर घर जा रहे थे। मालूमझोला के पास आरोपी ने वाहन पलटा दिया था। जिससे पिकप सवार सभी लोगों को चोटे आयी थी। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। घटना आरोपी झ्रायवर की गलती से हुयी थी किन्तु इस साक्षी ने आरोपी के वाहन चलाने में क्या गलती हुयी थी, नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह वाहन के पीछे बैठी थी, वाहन कैसे पलटा उसने नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से आरोपी के वाहन चलाने में क्या उपेक्षा या उतावलेपन था, प्रकट नहीं होता है। साक्षी ने यह भी बताया है कि वाहन सामान्य गति से चल रहा था।
- 11:— इन्द्रा अ.सा.07 ने बताया कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व शाम के समय मालूमझोला की है। घटना के समय वे लोग मण्डई बाजार से आरोपी के पिकप वाहन में बैठकर घर जा रहे थे। मालूमझोला के पास आरोपी ने वाहन पलटा दिया। जिससे पिकप में सवार सभी लोगों को चोटे आयी थी तथा उसके सिर में चोट आयी थी। उसका ईलाज बिरसा और कवर्धा अस्पताल में हुआ था। घटना आरोपी झायवर की गलती से हुयी थी किन्तु इस साक्षी ने आरोपी के वाहन चलाने में क्या गलती हुयी थी, नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह वाहन के पीछे बैठी थी, वाहन कैसे पलटा उसने नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से आरोपी के वाहन चलाने में क्या उपेक्षा या उतावलेपन था, प्रकट नहीं होता है।
- 12:— सुन्तीबाई अ.सा.08 ने बताया कि वह आरोपी को जानती है। घटना कुछ वर्ष पूर्व मालूमझोला के पास शाम के समय की है। घटना के समय

वे लोग मण्डई बाजार से पिकप वाहन में आ रहे थे। आरोपी ने मालूमझोला के पास वाहन को पलटा दिया था। जिससे उसके हाथ में चोट आयी थी। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। घटना आरोपी ड्रायवर की गलती से हुयी थी किन्तु इस साक्षी ने आरोपी के वाहन चलाने में क्या गलती हुयी थी, नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह वाहन के पीछे बैठी थी, वाहन कैसे पलटा उसने नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से आरोपी के वाहन चलाने में क्या उपेक्षा या उतावलेपन था, प्रकट नहीं होता है। बुधन अ.सा.01 ने बताया कि उसे कमर पर चोट आयी थी। खेलन ने सिने में, सुधन ने हाथ में, अमीना ने पूरे शरीर में, इन्द्रा ने सिर में, सुन्तीबाई ने हाथ में चोट आना बताया है। डॉ. एम. मेश्राम अ.सा.11 ने बताया कि दिनांक 03.07.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में उसने आहत बुधनसिंह का परीक्षण किया था। आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जिसकी रिपोर्ट प्रपी-08 है। उक्त दिनांक को ही आहत सुन्तीबाई के परीक्षण के दौरान आहत के बांये अग्र भुजा में देढ़ इंच गुणा एक इंच की सूजनदार चोट साधारण प्रकृति का मौजूद था, जो परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की थी, जिसकी रिपोर्ट प्रपी-09 है। उक्त दिनांक को ही आहत डुलेश्वरी के परीक्षण में आहत के दाहिने भौं के उपर एक गुणा आधा इंच का कटा-फटा चोट, दाहिने बख्खे पर देड़ इंच गुणा एक इंच का सूजन होना पाया था, जो साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के दो से छः घंटे के भीतर कड़े और बोथरे वस्तु से पहुंचाई गयी है, जिसकी रिपोर्ट प्रपी-10 है। इस प्रकार से चिकित्सक साक्षी ने आहतगण के शरीर पर साधारण चोट होना बताया है। अन्य आहत इन्द्राबाई, अघनियाबाई, बिसन्ताबाई, अमीना, सुधन व खेलन का भी परीक्षण कराया गया है। जिनकी रिपोर्ट में साधारण उपहति होना लेखबद्ध है। इन्द्राबाई तथा सुधन को एक्स-रे का सलाह दिया गया था किन्तु उनके द्वारा एक्स-रे नहीं कराया जाना व्यक्त किये जाने से उनका एक्स-रे नहीं कराया गया है।

14:— राजेश सनोडिया अ.सा.09 ने बताया कि थाना बिरसा के अपराध कमांक 79 / 12 धारा 279, 337 भा.दं.वि. की विवेचना के दौरान दिनांक 04.07. 12 को उसने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रपी—03 साक्षी सूबेलाल और कार्तिक के समक्ष तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसने आहत कार्तिक, परसराम,

खेलन, सुधन, बिसन्ता, अमीना, अघनिया, इन्द्राबाई, डुलेश्वरीबाई, सुन्तीबाई, बुधनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को ही उसने गवाह सूबेलाल और कार्तिक के समक्ष घटनास्थल से वाहन पिकप कमांक एम.पी.50जी.0415 जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी—04 तैयार किया था। साक्षी सूबेलाल अ.सा.03 ने भी बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से वाहन पिकप क्रमांक एम.पी.50जी.0415 को जप्त किया था। राजेश सनोडिया अ.सा.09 ने यह भी बताया कि उसने उक्त दिनांक को ही आरोपी द्वारा वाहन का दस्तावेज पेश किये जाने पर दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-05 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-06 तैयार किया था। जप्तशुदा वाहन का मेकेनिकल परीक्षण कराया था। प्रधान आरक्षक लखन भिमटे द्वारा परिवादी बुधनसिंह की मौखिक शिकायत पर थाना बिरसा में अपराध बिरसा में अपराध क्रमांक 79 / 12 धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मो. व्ही.एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-01 पंजीबद्ध किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इससे इंकार किया है कि साक्षियों के कथन उसने अपने से लेखबद्ध किया है। इससे भी इंकार किया है कि उसने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में झूठी विवेचना किया है।

- 15:— नवीन गोस्वामी अ.सा.10 ने बताया कि उसने थाना बिरसा के अपराध से संबंधित वाहन एम.पी.50जी.0415 का मेकेनिकल परीक्षण दिनांक 08. 07.12 को किया था। वाहन के सामने का कांच हल्का क्षतिग्रस्त था, सामने का नंबर प्लेट क्षतिग्रस्त, बांया साईड मिरर टूटा हुआ, दाहिने साइड का गेट हल्का पिचका हुआ था। वाहन का स्टेरिंग, गियर, चक्के सही हालत में थे। उसके द्वारा दिया गया परीक्षण रिपोर्ट प्रपी—07 है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसके द्वारा यांत्रिक परीक्षण किये गये बिना रिपोर्ट तैयार किया गया है। यांत्रिक त्रुटि के कारण दुर्घटना के संबंध में प्रकरण में कोई तथ्य नहीं है।
- 16:— इस प्रकार फरियादी बुधन अ.सा.01 ने बताया है कि वाहन सामान्य गित से चल रहा था, सुधन अ.सा.05 ने भी बताया है कि वाहन सामान्य गित से चल रहा था। घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन को तेजी से चलाये जाने के बारे में किसी भी साक्षी ने कथन नहीं किया है। अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिये कि आरोपी द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया गया। साक्षियों द्वारा बताया गया कि आरोपी की गलती के कारण वाहन पलटा था, किन्तु किसी भी साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं बताया है कि आरोपी की

किस गलती के कारण वाहन पलटा था। आरोपी द्वारा उपेक्षा और उतावलेपन ढंग से वाहन चलाये जाने के बारे में भी किसी साक्षी ने कथन नहीं किया है तथा फरियादी बुधनसिंह अ.सा.01 ने यह भी स्वीकार किया है कि वाहन पलटने में चलाने वाले की गलती नहीं थी। जिससे उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन ढंग से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने एवं आहतगण को उपहति कारित करने का कृत्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

17:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 03.07.12. को समय शाम करीब 17:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत मालुमझोला मोड़ के पास लोकमार्ग पर वाहन पिकप कमांक एम.पी.50जी.0415 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाते हुये महुआ पेड़ के पास पलटाकर उसमें सवार आहतगण बुधनिसंह, सुनतीबाई, डुलेश्वरीबाई, इन्द्राबाई, अधिनयाबाई, बिसंताबाई, अमीनाबाई, सुधनबाई तथा खेलन को साधारण उपहित कारित किया। फलतः आरोपी को धारा 279, 337(9 बार) भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

18:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

19:— आरोपी जिस कालाविध के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी के पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा की अविध निरंक है।

20:— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पीकप क्रमांक—एम.पी.50जी.0415 आवेदक रोहित कुमार बघेल पिता बेनीराम, जाति तेली, उम्र 38 वर्ष निवासी मानेगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र. की सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। सही/— (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

"मेरे निर्देश पर टंकित किया" सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)